THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (CAPT. JAI NARAYAN PRASAD NISHAD): (a) Yes, Sir.

(b) The news item is not based on facts. Wind data collected under the Wind Resource Assessment Programme of the Ministry is based on actual long-term measurements and is quite reliable and adequate for planning of wind power projects. As a result of initiatives taken on several fronts and conducive policies introduced, a wind power capacity of 900 MW has been established in the country by the end of the Eighth Plan, mostly by the private sector. This is the third largest wind power capacity set up in any country in the World, after the USA (1600 MW) & Germany (1500MW).

Thus, there has not been any setback to the programme. This is borne out by the fact that even during 1996-97, a capacity of about 170 MW has been added despite the cash crunch in the economy.

(c) The Ministry of Non-Conventional Energy Sources has already issued detailed guidelines to all concerned for proper planning, implementation, and operation & maintenance of the wind power generation. During the 9th Plan, special emphasis is proposed to be given to enlargement of the wind resource data base and to technology development and upgradation.

कूड़े कचरे से बिजली उत्पादन

3549. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कूड़े कचरे से बिजली उत्पादन के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये संयंत्र किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जायेंगे; और

(ग) क्या इससे स्वास्थ्य को कोई खतरा उत्पन्न होने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद): (क) और (ख) जी हां, भारत सरकार ने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में कूड़े-कचरे सहित "शहरी" म्यूनिसिपल और औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति का राष्ट्रीय कार्यक्रम" आरंभ किया है। इस योजना में, विभिन्न राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहनों, जैसे-संवर्धित अवमूल्यन, परियोजना आयात पर रियायती उत्पाद शुल्क, रियायती सीमा शुल्क, राज्य विद्युत बोर्ड-ग्रिड का इस्तेमाल करते हुए विद्युत के सम्प्रेषण, संग्रहण और तीसरे पक्ष को विद्युत बिक्री के लिए सुविधा और 5% वार्षिक वृद्धि के साथ राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा 2.25 रु०/किवा० घं० की दर पर विद्युत की खरीद, ब्याज आर्थिक राज सहायता, निवेश आर्थिक राज सहायता, कूड़े कचरे संहित अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति/विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नवीन प्रदर्शन और अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है। कूड़े-कचरे से विद्युत उत्पादन के लिए ऐसी परियोजनाएं देश के विभिन्न शहरों में लगाए जाने की संभावना है।

(ग) जी नहीं। दूसरी ओर, इन संयंत्रों के पर्यावरण-अनुकूल होने के कारण इनसे स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम करने में सहायता मिलेगी।

महासागर विकास संबंधी कार्यकलाप

3550. **श्री अजीत जोगी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष महासागर विकास विभाग द्वारा महासागर विकास से संबंधित कौन-कौन से कार्यकलाप किए गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में वर्ष-वार कितनी राशि खर्च की गयी; और

(ग) इस संबंध में विभाग की उपलब्धियां क्या रही हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार भगत राम अलघ): (क) और (ख) पिछले दो वर्ष के दौरान महासागर विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्यक्रम तथा उन पर किए गए खर्च का ब्यौरा विवरण मे दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ग) इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभाग की कुछ प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं:—

— अंटार्कटिक के लिए वार्षिक वैज्ञानिक अभियान रवाना करना और ड्रिल तथा अन्य

सजीव संसाधनों के मूल्यांकन के लिए अटार्कटिक जर्ल क्षेत्रों में अनन्य समुद्री यात्रा करना अंटार्कटिक संधि के उपबंधों और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं तथा अन्तरराष्ट्रीय वचनबद्धताओं के अनुसार अंटार्कटिक में भूमि विज्ञान और हिमनद विज्ञान, वायु-मण्डलीय विज्ञान, मौसम विज्ञान, जीव विज्ञान, मानव शारीरिकी, पर्यावरणीय विज्ञान, संचार एवं इंजीनियरी आदि से सम्बन्धित अध्ययों को जारी रखना।

— भारत ने अप्रैल, 1996 में अंटार्कटिक संधि पर्यावरणीय सुरक्षा नयाचार का अनुसमर्थन किया।

— भारत ने, मध्य हिन्द महासागर बेसिन से बहुधात्विक पिण्डिकाओं के अन्वेषण एवं विदोहन हेतु अग्रणी निवेशक श्रेणी में अन्तरराष्ट्रीय समुद्र संस्तर प्राधिकरण परिषद का सदस्य बनकर विशेष योग्यता प्राप्त की।

— मध्य हिन्द महासागर बेसिन में भारत को आबंटित 1,50,000 वर्ग कि०मी० के सम्पूर्ण अग्रणी क्षेत्र में हाइड्रोस्वीप का उपयोग करके अनुगभीर सर्वेक्षण पूरा किया गया।

— निष्कर्षी धातुकर्म प्रौद्योगिकी विकास हेतु निर्धारित 40 टन के लक्ष्य के मुकाबले मध्य हिन्द महासागर से लगभग 47 टन बहुधात्विक पिण्डिकाओं का तलकर्षण (ड्रेजिंग) किया गया।

— पिण्डिकाओं से धातु निष्कर्षण के लिए राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर में 6 और क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर में 5 प्रायोगिक संयंत्र अभियान पूरे किए गए।

— मत्स्य एवं समुद्रवैज्ञानिक अनुसंधान जलयान सागर सम्पदा और समुद्रवैज्ञानिक अनुसंधान जलयान सागर कन्या की सहायता से महासागरों के सजीव एवं निर्जीव संसाधनों का मूल्यांकन किया गया।

— समुद्र से संभावित औषधियों के विकास से संबंधित राष्ट्रीय परियोजना के अन्तर्गत कई मानव रोगों के उपचार के गुण धर्मों वाले 17 संभावित जीवों की पहचान की गई और इनमें से जिन पांच (5) जीवों में मुधमेह रोधी, वायरल रोधी, प्रति अमीबी, चिंतारोधी और डिम्बनाशक कारकों के रूप में शक्तिशाली सक्रियता देखी गई उन पर जड़ी-बूटी (हर्बल) औषधियों के विकास के लिए कार्य प्रारम्भ कर लिया गया।

— राष्ट्रीयसमुद्र प्रोद्योगिकी संस्थान ने महासागर ऊर्जा, गहरी समुद्र प्रौद्योगिकी एवं महासागर खनन, तटीय एवं पर्यावरणीय इंजीनियरी और समुद्री यंत्रीकरण से संबंधित चार प्रौद्योगिकी मिशन मोड कार्यक्रम चलाए।

— तटीय महासागर प्रबोधन एवं प्रागुक्ति प्रणाली (कोमैप्स) द्वारा देश के तटीय और अपतट जलक्षेत्रों में विभिन्न प्रदूषणों के स्तर पर महत्वपूर्ण आंकड़े उपलब्ध करवाए गए हैं।

— 14 राष्ट्रीय समुद्र आंकड़ा केन्द्रों के स्थापित राष्ट्रीय समुद्र सूचना प्रणाली से समुद्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ठोस विकास के लिए अपेक्षित समुद्र वैज्ञानिक आंकड़ों के निर्धारण, संग्रह, प्रसंस्करण और भण्डारण में मदद मिली है।

— समुद्र उपग्रह सूचना प्रणाली (मारसिस) के अन्तर्गत मछुआरा समुदाय को लगभग 170 मत्स्य स्थलन केन्द्रों से संभाव्य मत्स्यन क्षेत्र पूर्वानुमानों का प्रकीर्णन किया गया; तटीय क्षेत्र मानचित्र, तटरेखा परिवर्तन, मानचित्र, आर्द्रभूमि मानचित्र इत्यादि तैयार किए गए और इन्हें तटीय क्षेत्र विकास योजना के लिए प्रयोक्ता एजेंसियों को उपलब्ध करवाया गया; और सुदूर संवेदन आंकड़ों से उत्पन्न अनेक आंकड़ा उत्पादों को समुद्र स्थिति तथा मौसम भविष्यवाणी में लाभ दायक पाया गया है।

—समुद्र स्तर प्रबोधन एवं प्रतिरूपण (सेलमाप) कार्यक्रम ने औसत समुद्र स्तर परिवर्तनों का प्रबोधन करने के लिए आंधार उपलब्ध करवाया है।

— तट से मत्स्यन जलयान संचार प्रणाली के अन्तर्गत निर्मित संचार सुविधा से, चार दक्षिणी राज्यों और दक्षिण गोवा के 850 से अधिक मछुआरा परिवार लाभान्वित हुए हैं।

— लघु पैमाने के मछुआरों के हित के लिए, भूमंडीय अवस्थिति प्रणाली नौवाहक और मत्स्य खोजी के एकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण हेतु एक प्रायोगिक परियोजना प्रारम्भ की गई।

— अम्ल सल्फेट मृदा में झींगा संवर्धन के लिए एक प्रौद्योगिकी का अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में प्रत्यक्षण किया गया।

विवरण

पिछले दो वर्ष के दौरान महासागर विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाएं/कार्यक्रम तथा उन पर किया गया खर्च

(रु० करोड़ों में)

		1995-96	1996-97
क्रमांक	योजनाएं/कार्यक्रम	वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय
1.	अंटार्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम	19.51	20.85
2.	बहुधात्विक पिण्डिका कार्यक्रम (पीएमएन)	6.80	8.91
3.	समुद्री उपग्रह सूचना सेवा (मारसिस)	3.28	1.91
4.	अनुसंधान परियोजनाओं, सेमिनार, संगोष्ठियों इत्यादि के लिए सहायता	3.79	0.88
5.	जनशक्ति प्रशिक्षण	0.15	0.11
6.	राष्ट्रीय समुद्र प्रोद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी)	0.40	1.00
7.	तटीय समुद्र प्रबोधन एवं भविष्य कथन प्रणाली (कोमैप्स)	1.99	1.59
8.	समुद्री यंत्रीकरण (तट से मत्स्यन जलयान संचार)	0.42	0.80
9.	प्रदर्शनी एवं मेले	0.18	0.10
10.	समुद्र से औषधियां	—	2.00
11.	अन्य योजनाएं		0.05
	(क) द्वीप विकास कार्यक्रम	0.02	0.35
	(ख) राष्ट्रीय समुद्र सूचना प्रणाली (एनओआईएस)	0.84	0.38
	(ग) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	0.49	0.81
	(घ) निदेशन एवं प्रशासन	0.76	0.34
	(ङ) समुद्र स्तर परिवर्तनों का प्रबोधन एवं प्रतिरूपन (सेलमाम)	0.73	3.08
	(च) तटीय अनुसंधान जलयान (सीआरवी)	4.33	0.03
	(छ) समुद्री जलजीवशाला, ओंशनेरिया	0.05	1.78
	(ज) आंकड़ा प्लव कार्यक्रम	0.00	
	कुल योग	43.74	44.97

Bringing Employees of KVS and NVS Under Cat

3551. SHRI PARAG CHALIHA:
SHRI GOVINDRAM MIRI:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Department of Education, Ministry of Human resource Development has of late, approached the department of Personnel and Training to bring employees of Kendriya Vidyalaya Sangathan and Navodaya Vidyalaya Samiti under the jurisdiction of CAT;

(b) if so, whether the Department has since acceded to this request; and

(c) it so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS. (SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN): (a) Yes Sir.

(b) and (c) The question of bringing the employees of Kendriya Vidyalaya Sangathan and Navodaya Vidyalaya Samiti and Some other organisations under the jurisdiction of central administrative Tribunal (CAT) is dependent on the assessment of additional workload as a result thereof on the CAT for which some information has been called for from the concerned organisations.